

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 33/2020  
अन्तर्गत धारा 88,188,91 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अवतार सिंह पुत्र संधुरा सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगविन्द्रजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्रगेज सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. विरेन्द्रवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्रगेज सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. लखविन्द्र सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. रेशम सिंह हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादीगण

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र पूरन सिंह (फौत)  
1/1 मोती सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति तरखान निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ  
1/2 रणजीत कौर पुत्री प्रताप सिंह जाति तरखान निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर

..... प्रतिवादीगण



उपस्थित-

श्री नरेश जाखड.  
श्री रोबिन कुमार गुम्बर  
राज पैरोकार

(वादीगण 1-6 )  
(प्रतिवादी 1/1-1/2)  
(प्रतिवादी 2)

दिनांक 16 अगस्त, 2021

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी संख्या 4 ता 6 के पिता हजूर सिंह फौत हो चुके है। इसलिए उक्त वाद पत्र वादी सं० 4 ता 6 की ओर से पेश किया जा रहा है। हजुर सिंह के फौत होने के बाद अभी तक विरासतन इन्तकाल वादीगण सं० 4 ता 6 के नाम दर्ज नहीं हुआ है। वादीगण सं० 1 ता 3 के नाम व वादीगण सं 4 ता 6 के मृतक पिता हजुर सिंह व प्रतिवादीगण के पिता प्रताप सिंह के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं० 11/96 के मु० न० 11 में 6.199 है० नहरी व इसी चक के खाता सं० 48/106 के मु० न० 17 में 6.325 है० नहरी मय खाला व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता सं० 6/57 के मु० न० 18 में 3.125 है० नहरी व मु० न० 22 में 1.266 है० नहरी कुल 4.391 है० नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह आपस मे चार भाई थे। जिसमे प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 29

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जीजी के खाता सं० 11/96 में 1549/6199 हिस्सा व इसी चक के खाता सं० 48/106 में 1581/6199 हिस्सा व चक 16 जी छोटी के खाता सं० 6/57 में 1098/4391 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तथा शेष हिस्सा वादीगण के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आज से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह के जीवन काल में प्रताप सिंह के भाईयो के मध्य घरेलू बंटवारनामा हुआ था। जिसके तहत प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह ने अपने नाम की भूमि चक 29 जी जी के खाता सं० 11/96 व इसी चक के खाता संख्या 48/106 व चक 16 जी छोटी के खाता सं० 06/57 की अपने नाम की समस्त भूमि अपने भाईयो को बं०हि०ब० छोड दी थी, क्योंकि प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह के पास चक 12 एस टी बी ए तहसील पीलीबंगा में लगभग 45 बीघा कृषि भूमि थी। इसलिए मृतक प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह ने अपने नाम की समस्त भूमि अपने भाईयो के हिस्से में घरेलू बंटवारनामा अनुसार छोड दी थी। तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर वादीगण व वादीगण के पिता को शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, तथा मृतक प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह के वारिसानों का उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है, और वादीगण के उक्त भूमि पर अधिकार पुख्ता हो चुके है, इसलिए वादीगण उक्त भूमि के खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है, और इसी की घोषणा करवाना चाहते है, इसलिए प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का सन्तुलन हम वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। घरेलू बंटवारनामा व सहमति पत्र संलग्न वाद पत्र है। दिनांक 17.07.2020 को वादीगण मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 के पास उनके गांव प्रेमपुरा में जाकर प्रताप सिंह के नाम की भूमि जो घरेलू बंटवारनामा में वादीगण को आई हुई थी, को अपने नाम करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि उक्त भूमि हमने बहुत पहले ही आपको दे दी है, और आप उक्त भूमि पर काश्त कर रहे है, हमें उक्त वादाधीन भूमि में हिस्सा नहीं चाहिए, आप आज उक्त भूमि पर काश्त कर रहे है, हमें उक्त वादाधीन भूमि में हिस्सा नहीं चाहिए, आप आज उक्त भूमि के सम्बन्ध में हमसे दस्तावेज निष्पादित करवा लो, इस पर उसी दिन दिनांक 17.07.2020 का मृतक प्रताप सिंह के वारिसानों प्रतिवादीगण संख्या 1/1 मोती सिंह व प्रतिवादीया संख्या 1/2 रणजीत कौर ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में सहमति पत्र व अनुबन्ध पत्र लिखकर दे दिया कि "उक्त भूमि आप सक्षम न्यायालय में घरेलू बंटवारनामा अनुसार वाद पेश कर अपने नाम करवा लो, हमें कोई एतराज नहीं है", इसलिए हम वादीगण उक्त भूमि के खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। दिनांक 17.07.2020 को वादीगण अपने घर आने के बाद दूसरे दिन दिनांक 18.07.2021 को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु गये, और वहां जाकर प्रतिवादीगण को उक्त वाद में सहमति देकर भूमि हम वादीगण के नाम करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये, जो कि यही वादकारण है। वाद पत्र में दर्ज भूमि श्रीगंगानगर तहसील के चक 29 जीजी व 16 जी छोटी में पड़ती है, जो श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। वाद पत्र में वर्णित भूमि का हित राज्य सरकार में निहित होने के कारण स्टेट ऑफ राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, अन्दरमियाद है, पूरी कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण का निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

जावे:-

(क) तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 11/96 के मुर्ब्बा नं० 11 में 6.199 है० नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1549/6199 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.516 है० नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को बं०हि०ब० 0.516 है नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को बं०हि०ब० 0.517 है० नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 48/106 के मुर्ब्बा नं० 17 में 6.325 है० नहरी मय खाला भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1581/6325 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.527 है० नहरी मय खाला व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है नहरी मय खाला व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है0 नहरी मय खाला भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ग) तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 6/57 के मुरब्बा नं0 18 में 3.125 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 22 में 1.266 है0 कुल 4.391 है0 नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1098/4391 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अन्य कोई अनुतोष हो तो दिलवाया जावे व खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।


पुष्पकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा-जवाब दावा दिनांक 22.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। वादीगण की शिनाख्त वादीगण अधिवक्ता श्री आनंद बिश्नोई एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/2 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनाम प्रमाणित किया गया। राजीनाम के तथ्यों के अनुसार इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:-

(क) तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 11/96 के मुरब्बा नं0 11 में 6.199 है0 नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1549/6199 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.516 है0 नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.516 है नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.517 है0 नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 48/106 के मुरब्बा नं0 17 में 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1581/6325 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.527 है0 नहरी मय खाला व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है नहरी मय खाला व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है0 नहरी मय खाला भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ग) तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 6/57 के मुरब्बा नं0 18 में 3.125 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 22 में 1.266 है0 कुल 4.391 है0 नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1098/4391 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

दिनांक 16.2.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया।

  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर


बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात चक 29 जीजी पटवार हल्का जोधेवाला भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 एवं चक 16 जी छोटी पटवार हल्का जोधेवाला भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चुनावढ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076, सहमति पत्र क्रमांक 2203 दिनांक 17.07.2020, अनुबंध पत्र क्रमांक 2202 दिनांक 17.07.2020, पासबुक की फोटो प्रतियो एवं ग्राम पंचायत प्रेमपुरा, पंचायत समिति पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के सरपंच किरण द्वारा जारी वारीसनामा रिपोर्ट क्रमांक 01 दिनांक 18.07.2020 की फोटो प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबन्दी के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध

### आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 29 जीजी खाता संख्या 11/96 के मुरब्बा नं० 11 में 6.199 है० नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1549/6199 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.516 है० नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब०हि०ब० 0.516 है नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब०हि०ब० 0.517 है० नहरी भूमि एवं तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी के खाता संख्या 48/106 के मुरब्बा नं० 17 में 6.325 है० नहरी मय खाला भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1581/6325 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.527 है० नहरी मय खाला व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब०हि०ब० 0.527 है नहरी मय खाला व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब०हि०ब० 0.527 है० नहरी मय खाला भूमि तथा तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी के खाता संख्या 6/57 के मुरब्बा नं० 18 में 3.125 है० नहरी व मुरब्बा नं० 22 में 1.266 है० कुल 4.391 है० नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1098/4391 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.366 है० नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब०हि०ब० 0.366 है० नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब०हि०ब० 0.366 है० नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 अगस्त, 2021 को जारी किया गया।

  
 उम्मेद सिंह रतनू  
 (आर.एस.एस.) एवं  
 सहायक कलक्टर एवं (फास्ट ट्रेक)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री  
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 33/2020  
अन्तर्गत धारा 88,188,91 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अवतार सिंह पुत्र संधुरा सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगविन्द्रजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्रगेज सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. विरेन्द्रवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्रगेज सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. लखविन्द्र सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. रेशम सिंह हजुर सिंह जाति तरखान निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादीगण

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र पूरन सिंह (फौत)  
1/1 मोती सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति तरखान निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ  
1/2 रणजीत कौर पुत्री प्रताप सिंह जाति तरखान निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री नरेश जाखड. (वादीगण 1-6 )  
श्री रोबिन कुमार गुम्बर (प्रतिवादी 1/1-1/2)  
राज पैरोकार (प्रतिवादी 2)

दिनांक 24 अगस्त, 2021

वादपत्र संख्या 33/2021  
अन्तर्गत धारा 88,188,91 राज. काश्तकारी अधिनियम



प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री नरेश जाखड. व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/2 अधिवक्ता श्री रोबिन कुमार गुम्बर पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या-2 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –  
वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 29 जीजी खाता संख्या 11/96 के मुरब्बा नं0 11 में 6.199 है0 नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1549/6199 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.516 है0 नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को 0.516 है0 नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.517 है0 नहरी भूमि एवं तहसील श्रीगंगानगर के चक 29 जीजी के खाता संख्या 48/106 के मुरब्बा नं0 17 में 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1581/6325 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.527 है0 नहरी मय खाला व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है नहरी मय खाला व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.527 है0 नहरी मय खाला भूमि तथा तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी के खाता संख्या 6/57 के मुरब्बा नं0 18 में 3.125 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 22 में 1.266 है0 कुल 4.391 है0 नहरी भूमि में से मृतक प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के नाम दर्ज 1098/4391 हिस्सा में से वादी संख्या 1 अवतार सिंह को 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 2 जगविन्द्रजीत सिंह व वादी संख्या 3 विरेन्द्रवीर सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी व वादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह व वादी संख्या 5 बलजिन्द्र सिंह व वादी संख्या 6 रेशम सिंह को ब0हि0ब0 0.366 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक .. शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 अगस्त, 2021 को जारी की गयी.



उम्मेद सिंह रतनू  
(आर.ए.एस.) एवं  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

उम्मेद सिंह रतनू  
(आर.ए.एस.) एवं  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर